

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -द.ग्रामाण.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ५३५/२५ दायर दिनांक ०२/१०/२५ निर्णय दिनांक ०२/१०/२५

रिपोर्ट



क्र.सं..	नाम- ग्राम	खान.	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पक्ष-सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>द.ग्रामाण</u>	<u>३०१</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>द.ग्रामाण</u> प.ह. <u>द.ग्रामाण</u> खातासं <u>३०१</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दखलद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पदवासी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मालिक तहसीलदार	हस्ताक्षर (भू.अ.)	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
	<u>श्री. शर्मा</u>	<u>श्री. शर्मा</u>	<u>श्री. शर्मा</u>	<u>श्री. शर्मा</u>	<u>श्री. शर्मा</u>

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

ग्रामीण सेवा शिविर-2025